तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरीराम वगै.बनाम चेतनदास वगै अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट मु.नं.386 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पेश तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि वादीगण स्व. हडमानराम के वारिसान है । स्व. लाधूराम के फौत होने के बाद उनकी जोत का बंटवारा पारिवारिक व्यवस्था मौखिक अनुसार आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन के आधार पर स्व. पिता हडमानराम के नाम रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 557 / 2 तादादी 2.9336 हैक्टेयर करीब 60 साल से अधिक पर वादीगण समझ से पिता के जीवनकाल से ही काबिज हैं। खसरा नम्बर 557 / 1 का रकबा 0.2925 हैक्टेयर मामराज के नाम रिकार्ड में अलग दर्ज किया जा चुका हैं। अलग–अलग कब्जाकाश्त करते आ रहे हैं। अमरपुरा संवत 2026 में ख्वासरा नं. 769 / 533, 321, 297 / 1, 528,300 / 1, ख. 553 सहित के तादादी 63.11 बीघा जमीन प्रतकूल पैतृक पुरानी जोत जो रिकार्ड गिरदावरी जमाबंदी गलत तरीके से दर्ज की गई हैं। आपसी अच्छे संबंध के कारण कास्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण पुरानी पुस्तेनी ख.नं. 243,244 के 53.11 बीघा का नया नं. 556 बना हैं। पुस्तैनी कब्जा स्व. लाधूराम के सर्वे2019 का रिकार्ड 2026 में आया । कुल 195.19 बीधा, ख.नं. 90,74,244 / 1, 256 / 3 का है, उसमें 169.01 बीघा उनके नाम रिकार्ड में दर्ज किया गया। बाकी 25.19 बीघा रकबा कब्जा कास्त सहित को राज कर दिया गया उसके अलावा खसरा नं. 777 / 533 का 6.8283 हैक्टेयर, 321, 297 / 1, 528,300 / 1, ख.553सहित 63.11 बीघा जिस पर पुराने कब्जाकास्त के अनुसार वादीगण व लाधूराम जी के अन्य वारिसान निरन्तर पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर काबिज हैं। प्रतिवादी विक्रय की फिराक में प्रयासरत हैं। पक्षकार उक्त भूमि पर पत्थरगढी कराकर दखल करना चाहता हैं। धमकी के कारण स्थगन आवश्यक है अतः उक्त भूमि पर वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी फरमावे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश शामिल मिसल हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार किया । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में जिस प्रकार से लिखा गया है वह अस्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खसरा बताये है जबकी यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है खसरा नम्बर 769 / 556 तादादी 15 बीघा भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है ना ही यह भमि कभी प्रार्थीगा की पुस्तैनी भूमि रही हैं। खसरा नं. 769 / 556 तादादी 15 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 का लगातार कब्जा व काश्त है अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसका अधिकार प्रार्थी को नही हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के तथ्य अस्वीकार हैं। जितनी भूमि स्व. लाधूराम की थी उतनी भूमि आज लाधूराम के वारिसो के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के सामने गलत तथ्य पेश किये गए हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को बहुत बड़ी क्षति हो रही है प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अति आवश्यक है प्रार्थीगण अपने वाद व प्रार्थना पत्र में अलग–अलग झूठी तारिख बता रहे है अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.10 16:29:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के तमाम तथ्य मनगढत होने से अस्वीकार है क्योंकी प्रार्थीगण दावा एवं प्रार्थना पत्र में अलग तारीख बता रहे हैं। प्रार्थीगण एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहते है इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अति आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है जिससे प्राथी को कोई लेना देना नहीं है प्रार्थीगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 अस्वीकार है व मियाबाहर है क्ययों की प्रार्थीगण मामला 14.4.2022 का बता रहे है प्रार्थना पत्र 02.8.2022 को 4 माह बाद पेश कर रहे प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया की ग्राम पंचारा उर्फ अमरपूरा के खसरा नं. 769/556 तादादी 15 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं हैं। प्रार्थीगण के पिता की जितनी पुरानी भूमि थी वह आज भी दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व तारिखों का कुसयोजन होने से खारिज योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ फार्म 03 के साथ जमाबन्दी की प्रति पेश की गई।

राजपैरोकार द्वारा कथन किया गया की उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में राज्य का हित प्रभावित नहीं होता हैं। मुख्य विवाद पक्षकारों प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य हैं।

उभय पक्ष की बहस सूनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण को निस्तारित करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को प्रार्थी द्वारा साबित करना हैं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। प्रार्थी का वादगत भूमि पर किस आधार पर कब्जा काश्त है इस बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादगत भूमि पुरानी पैतृक रही हो और बादमे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई हो अप्रार्थी 1 वकील द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी एवं दस्तावेजो में उक्त भूमि मौजा रोही अमरपुरा उर्फ पंचारा खसरा नम्बर 769/556 तादादी 15 बीघा खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हैं। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड काश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से अपूर्णीय क्षति होनी सम्भावित हैं । इसलिये प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 18.08.2022 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज की जाती हैं। वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं [illegible] में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.10 16:29:07 IST
Reason: SelfAttested